नकल/ SRI-Pro No... 522/ ...
... दि० 28-3-2012

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद सं० 157 सन् 2011–12
मौजा– खान्जंहापुर अन्तर्गत धारा–143 ज०वि०अधि०
अशोक कुमार आदि परगना–मुजफ्फरनगर
बनाम
सरकार

आदेश

श्री अशोक कुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्रगण कर्मसिंह व अंकुर चौधरी पुत्र अजय कुमार व प्राची चौधरी पुत्री अजय कुमार निवासी मुजफ्फरनगर ने अपनी भूमि स्थित मौजा खान्जंहापुर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के खाता सं0–41 के ख0न0 397क/0.0700 व खसरा नम्बर 407म/0.8700है0 कुल दो किते रकबई 0.9400है0 लगान 19.30रूपये व खाता सं0–43 के ख0न0 394/0.2800है0, 395/0.3200है0, 396/0.1800है0 व 397ख/0.1700है0 कुल 4 किते रकबई 0.9500है0 लगान 25.12रूपये पर कृषि कार्य न किये जाने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने की अभ्यर्थना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार सिटी की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28–03–2012 प्राप्त हुई। जिसके अवलोकन से विदित है कि स्थित मौजा खान्जंहापुर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के खाता सं0–41 के ख0न0 397क/0.0700 व खसरा नम्बर 407म/0.8700है0 कुल दो किते रकबई 0.9400है0 लगान 19.30रूपये व खाता सं0–43 के ख0न0 394/0.2800है0, 395/0.3200है0, 396/0.1800है0 व 397ख/0.1700है0 कुल 4 किते रकबई 0.9500है0 लगान 25.12रूपये पर प्रार्थीगण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि में आबादी विस्तार हेतु चारदीवारी एवं प्लाटिंग की जा रही है। भविष्य में भी उक्त भूमि में कृषि कार्य की संभावना नहीं है। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। नायब तहसीलदार के द्वारा अपनी आख्या के साथ नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न होने का उल्लेख किया है।

मैंने पत्रावली एवं उपलब्ध भू अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नही हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः नायब तहसीलदार सिटी की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28–03–2012 के आधार पर भूमि स्थित मौजा खान्जंहापुर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के खाता सं0–41 के ख0न0 397क/0.0700 व खसरा नम्बर 407म/0.8700है0 कुल दो किते रकबई 0.9400है0 लगान 19.30रूपये व खाता सं0–43 के ख0न0 394/0.2800है0, 395/0.3200है0, 396/0.1800है0 व 397ख/0.1700है0 कुल 4 किते रकबई 0.9500है0 लगान 25.12रूपये को महायोजना एवं भवन निर्माण एवं विकास उप विधि के प्राविधानों के अनुसार निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा, के प्रतिबन्ध के साथ जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद पूर्ति पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक 28–03–2012

(गौरव वर्मा) 28/3/12
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

1. ... नकल ... 28-3-12
2. नकल ...
3. जांच ...
4. प्राप्त ... 29/3/2012
5. तैयार ... 29/3/2012
6. वापस ... 29/3/2012
7. शुल्क ... 13/-
8. शब्द ... 457